FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

प्रार्थीगणः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. विनोद कुमार पुत्र स्व. श्री गणेशराम, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम दुजाना, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)		1. श्रीमती प्रभाती पत्नी श्री विनोद कुमार जाति ब्राहम्ण, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.) 2. ग्राम पंचायत दुजाना जरिये, सरंपच, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

पंचायत विविध– 04/2021
जीसीएमएस नम्बर– 2021/48
स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(2) राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/02/21	वकील प्रार्थी ने यह स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत दुजाना तहसील सुमेरपुर के द्वारा श्रीमती प्रभाती पत्नी श्री विनोद कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी दुजाना के हक के प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जा सुदा, पट्टा सुदा, भूखण्ड मय मकान जिसका विक्रय विलेख संख्या 27 दिनांक 08.03.2019 को जारी किया हुआ है उसे विक्रय करने से रोकने हेतु स्थगन आदेश पारित कराने हेतु प्रस्तुत किया है। जो दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी विनोद कुमार एवं अप्रार्थिनी प्रभाती पति पत्नी है दोनों में अनबन है प्रार्थी खाने कमाने हेतु ज्यादातर मुम्बई प्राईवेट नौकरी की गरज से रहता है। तथा अप्रार्थीया ज्यादातर अपने पीहर में ही रहती है उसकी पत्नी अच्छी औरत नहीं है। प्रार्थी तथा अप्रार्थिनी के दाम्पत्य जीवन से 2 लड़के है। प्रार्थिनी ने जैर प्रार्थना पत्र पुश्तैनी मकान को हड़पने की नीयत से गलत तथ्यों के साथ शपथ प्रस्तुत कर जैर प्रार्थनापत्र मकान का पट्टा संख्या 27 प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 05.03.2019 की अनुपालना में दिनाँक 08.03.2019 को जारी करवा दिया। जो प्रार्थी विनोद कुमार का पुश्तैनी मकान है। जिसे हड़पने की नीयत से अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 से मिलावट कर पट्टा बना दिया एवं अब जैर प्रार्थना पत्र मकान को अप्रार्थिया बेच देना चाहती है। अगर ऐसा किया जाता है तो प्रार्थी के पुश्तैनी मकान को अप्रार्थिया हड़पने में कामयाब हो जायेगी। उक्त मकान प्रार्थी का पुश्तैनी मकान होने से प्रार्थिया उक्त मकान का बेचाण न कर दे इस बाबत निगरानी के साथ प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र में बेचाण नहीं करने हेतु स्थगन आदेश प्रदान करावे। बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। जैर प्रार्थना पत्र आराजी (मकान) का पट्टा संख्या 27 दिनांक 08.03.2019 जो प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 05.03.2019 एवं मिसल संख्या 71/2016–2017 में पारित आदेश की पालना में अप्रार्थिया प्रभाती पत्नी विनोद कुमार के हक में जारी किया गया है। उक्त मकान का बेचाण प्रभाती अन्य किसी व्यक्ति के हक में कर देती है तो इसमें प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी वाद बाहुल्यता बढेगी तथा उभय पक्ष खर्चे से जैर बार होंगे। इन सभी परिस्थितियों के मध्य नजर जैर प्रार्थना पत्र उक्त आराजी के [illegible] जारी किया जाता है कि जैर प्रार्थना पत्र आराजी का अप्रार्थिया [illegible] विनोद कुमार ब्राहम्ण निवासी दुजाना किसी [illegible] फैसला बेचाण हस्तान्तरण न करे। न [illegible] से कराये। स्थगन आदेश की प्रति नोटिस के स[illegible] पालनार्थ प्रेषित की [illegible] पत्रावली शुमार फैसल की जाकर इस न्यायालय से नम्बर से कम हो। तथा मूल निगरानी के संलग्न की जावे। जिला कलेक्टर, पाली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:47:56 IST
Reason: SelfAttested